भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. 82

गुरुवार, 9 फरवरी, 2023/20 माघ, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र में जनशक्ति के कौशल विकास के लिए अनुकूलित कार्यक्रम

82. श्री के. आर. सुरेश रेड्डी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यह मानती है कि आतिथ्य उद्योग की सफलता कुशल जनशक्ति पर निर्भर करती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में लोगों के कौशल विकास हेतु अनुकूलित कार्यक्रम शुरू करने के लिए क्या पहल की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

पर्यटन क्षेत्र में जनशक्ति के कौशल विकास के लिए अनुकूलित कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 09.02.2023 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 82 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

(क) : जी, हां महोदय । आतिथ्य उद्योग की सफलता के लिए कुशल जनशक्ति प्रमुख कारकों में से एक है ।

(ख) : आतिथ्य शिक्षा संबंधी कौशल कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय की एक नियमित और सतत पहल है । पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) से संबद्ध संस्थानों द्वारा आतिथ्य शिक्षा प्रदान की जाती है । इसके 93 शैक्षणिक केन्द्र हैं जिनके माध्यम से यह अंडर ग्रेजुएट (यूजी), पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी), डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाता है । भारतीय कलीनरी संस्थान द्वारा तिरूपति और नोएडा में 2 यूजी तथा पीजी पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं ।

एनसीएचएनसीटी से संबद्ध प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे नियमित पाठ्यक्रमों की सूची अनुबंध में दी गई है ।

इसके अतिरिक्त भारतीय पयर्टन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) (5 केंद्र) नामक एक अन्य संस्थान यात्रा एवं पर्यटन शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है । यह संस्थान पर्यटन एवं यात्रा उद्योग के लिए विशिष्टीकृत प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करता है । वर्तमान में यह अल्पकालिक कौशल विकास कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों सहित दो वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए (पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन) और तीन वर्षीय पूर्णकालिक बीबीए (पर्यटन एवं यात्रा) कार्यक्रम की पेशकश करता है । इसके अतिरिक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स (एनआईडब्ल्यूएस), गोवा, जिसे आईआईटीटीएम में शामिल किया गया है, यह शिक्षण/प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्श का कार्य करता है और भारत में लेज़र वाटर स्पोर्ट्स का भी संवर्धन करता है जिसमें ओबीएम रखरखाव, एफआरपी बोट रिपेयर, टिलर कंट्रोल पावर बोट हैंडलिंग, रिमोट कंट्रोल पावर बोट हैंडलिंग, लाइफ सेविंग तकनीकें, सर्फ लाइफ सेविंग तकनीकें आदि शामिल हैं । यह संस्थान विंड सर्फिंग, सेलिंग, वाटर स्कीइंग, कायाकिंग आदि जैसे कुछ कौशल आधारित पाठ्यक्रम भी चलाता है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक स्तर पर पर्यटन सेवाप्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के लिए ''सेवाप्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण'' (सीबीएसपी) योजना के अंतर्गत असंगठित/संगठित क्षेत्र के लिए आतिथ्य एवं पर्यटन के क्षेत्र में अर्धकुशल/अकुशल के लिए विभिन्न अल्पकालिक कौशल पाठ्यक्रम चलाता है । इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थानों (सीआईएचएम), राज्य होटल प्रबंधन संस्थानों (एसआईएचएम), पाक कला संस्थानों (एफसीआई), राज्य पर्यटन विभागों/ विकास निगमों, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), भारतीय कलीनरी संस्थान (आईसीआई), अन्य सरकारी संस्थानों और सूचीबद्ध निजी क्षेत्र के संस्थानों के माध्यम से किया जाता है ।

सीबीएसपी योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय विभिन्न अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है ।

सीबीएसपी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कौशल, पुन:कौशल और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है : -

(i) हुनर से रोजगार तक (एचएसआरटी) (कौशल कार्यक्रम) :- सीबीएसपी योजना के अंतर्गत 'हुनर से रोजगार तक' कार्यक्रम कौशल कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मंत्रालयों के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सामान्य मानकों के अनुरूप हैं । यह कार्यक्रम वर्तमान में आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में कुल 11 अल्पकालिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है जो निम्नानुसार हैं:-

क) मल्टी क्विजीन कुक
ख) फूड एंड बेवरेज सर्विस
ग) रूम अटेंडेंट
घ) फ्रंट ऑफिस एसोसिएट
ङ) लॉन्ड्री मशीन ऑपरेटर
च) किचन स्टुअर्ड
छ) होम डिलिवरी ब्वॉय
ज) ट्रेडिशनल स्नैक एंड सेवरी मेकर
झ) अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड
ञ) हेरिटेज गाईड

ट) टूर गाईड

(ii) उद्यमिता कार्यक्रम (कौशल उन्नयन) :- यह कार्यक्रम 'सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' योजना के अंतर्गत सूक्ष्म तथा लघु बिजनेस स्टार्ट-अप्स की सहायता के उद्देश्य से शुरू किया गया था । इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेड्स में 150 घंटे के पांच पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:-

क) कुक-तंदूर
ख) बारमैन
ग) बेकर
घ) होम-स्टे (मल्टीस्किल्ड केयर टेकर)
ङ) हलवाई – भारतीय मिष्टान

(iii) कौशल परीक्षण एवं प्रमाणन (पुन: कौशल) :- यह कार्यक्रम मौजूदा सेवाप्रदाताओं की परीक्षा लेकर उन्हें निम्नलिखित चार आतिथ्य ट्रेड्स में प्रमाणन प्रदान करने के लिए है। यथा :-

क) फूड प्रोडक्शन
ख) फूड एंड बेवरेज सर्विस
ग) बेकरी एंड पेटीसरी
घ) हाउसकीपिंग यूटिलिटी

(iv) पर्यटन एडवेंचर पाठ्यक्रम (पुन: कौशल) :- वित्तीय वर्ष 2018-19 से पर्यटन मंत्रालय ने क्षेत्र आधारित विशेष रूप से संरचित एडवेंचर कौशल के संवर्धन के लिए युवाओं में क्षमता विकास के उद्देश्य से पर्यटन एडवेंचर तथा एस्कॉर्ट पाठ्यक्रमों की शुरूआत की थी। यह पाठ्यक्रम निम्नानुसार हैं :-

क) पैरासेलिंग
ख) ट्रैकिंग
ग) हॉट एयर बैलूनिंग
घ) टूरिज्म एस्कॉर्ट

इन पाठ्यक्रमों का आयोजन भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) द्वारा भारतीय स्कीइंग तथा पर्वातारोहण संस्थान (आईआईएसएम), गुलमर्ग, जम्मू एवं कश्मीर के माध्यम से किया जाता है ।

(v) भाषायी पर्यटक सुविधाप्रदाता (कौशल उन्नयन) :- विभिन्न विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति के सृजन के लिए जर्मन, फ्रेंच, जापानी, चीनी, वियतनामी, थाई और अन्य भाषाओं में छः सप्ताह के भाषा पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ।

(vi) अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता पाठ्यक्रम (आईआईटीएफसी) :- पर्यटन मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन मोड में अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता पाठ्यक्रम (आईआईटीएफसी) चलाया जाता है । यह पाठ्यक्रम मूलभूत तथा उच्च स्तर (हेरिटेज तथा एडवेंचर) पर चलाया जाता है । इसके अतिरिक्त मौखिक भाषा तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं ।

(vii) पर्यटन जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रम :- यह कार्यक्रम मौजूदा सेवाप्रदाताओं के लिए आयोजित किया जाता है ।

(viii) गंतव्य आधारित कौशल विकास :- सीबीएसपी योजना के अंतर्गत उल्लेखनीय रूप से कौशल कार्यक्रमों में वृद्धि के लिए पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 से गंतव्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहल की थी जिसका उद्देश्य सभी सेवाप्रदाताओं विशेष रूप से पर्यटन स्थलों और गंतव्यों के आस-पास रहने वाले लोगों के संवेदीकरण, उन्नयन और क्षमता निर्माण के लिए पर्यटन गंतव्य पर ही सर्वसमावेशी प्रशिक्षण योजना संचालित करना है । इस कार्यक्रम का लक्ष्य इस आशा के साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है कि पर्यटन क्षेत्र और अधिक समय तक अकुशल हाथों में न रहे ।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

*****

अनुबंध

पर्यटन क्षेत्र में जनशक्ति के कौशल विकास के लिए अनुकूलित कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 09.02.2023 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 82 के भाग (ख) के उत्तर में विवरण

एनसीएचएमसीटी के साथ संबद्ध प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले नियमित पाठ्यक्रमों की सूची

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में एनसीएचएमसीटी के साथ संबद्ध प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निम्नलिखित नियमित पाठ्यक्रम चालए जा रहे हैं :-

1. एमएससी (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन)
2. बीएससी (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन)
3. आवास प्रचालन तथा प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा
4. डायटेटिक्स तथा हॉस्पिटल फूड सर्विस में पोस्ट ग्रेजुएट में डिप्लोमा
5. फूड प्रोडक्शन में डिप्लोमा
6. फूड एंड बेवरेज सर्विस में डिप्लोमा
7. फ्रंट ऑफिस प्रचालन में डिप्लोमा
8. हाउस किपिंग में डिप्लोमा
9. बेकरी तथा कंफेक्शनरी में डिप्लोमा
10. फूड प्रोडक्शन तथा पेटीसरी में क्राफ्टमैनशिप सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम
11. फूड एंड बेवरेज सर्विस में क्राफ्टमैनशिप सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम
12. बीबीए कलीनरी आर्ट्स – भारतीय कलीनरी संस्थान
13. एमबीए कलीनरी आर्ट्स – भारतीय कलीनरी संस्थान

*****